8(4)—1

पत्रांक– 3/एम–77/2012 सा0प्र0–.....14362/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–09.9..2024

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा के 60–62 बैच के पदाधिकारियों के योगदान की तिथि से प्रथम 02 वर्षों का Offline PAR स्वीकार करने के संबंध में।

महाशय,

विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–8160 दिनांक–22.05.2024 द्वारा बिहार सरकार के समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर Online e-PAR अभिलिखित किये जाने का प्रावधान करते हुए एतदर्थ निर्धारित प्रक्रिया संसूचित की गयी है। परिपत्र के प्रावधान के आलोक में विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कर्मियों के PAR का अभिलेखन वित्तीय वर्ष 2023–24 से Manual नहीं होगा बल्कि SPARROW System पर Online e-PAR अभिलिखित किया जायेगा।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का Online e-PAR आलेखन SPARROW System पर वर्ष 2018–19 से ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप वर्ष 2018–19 से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में विशेष चारित्री/विशेष वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/विशेष कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलिखित किये जाने की व्यवस्था वर्ष 2018–19 से ही समाप्त कर दी गयी है।

3. उक्त संदर्भ में बिहार प्रशासनिक सेवा के स्थापना की समीक्षा के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि इस सेवा के 60–62 बैच के पदाधिकारियों द्वारा नियुक्ति के फलस्वरूप जून, 2019 अथवा उसके बाद सेवा में योगदान दिया गया है। परन्तु SPARROW System के तहत Online e-PAR अभिलिखित किये जाने हेतु इन्हें NIC का E-mail Id create करने का निदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–4748 दिनांक–09.04.2021 द्वारा दिया गया है। फलतः 60–62 बैच के पदाधिकारियों के प्रथम 02 वर्ष का Online e-PAR अभिलिखित नहीं किया जा सका है।

2

4. सम्प्रति 60–62 बैच के पदाधिकारियों द्वारा अगले संवर्गीय पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित 05 वर्ष की कालावधि पूरी की जा चुकी है परन्तु विगत 05 वर्षों में से 02 वर्ष का Online e-PAR अभिलिखित नहीं किये जाने तथा 05 वर्ष के पूर्व सेवा में नहीं रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के प्रावधानों के तहत वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने पर विचार किये जाने में कठिनाई हो रही है।

5. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 60–62 बैच के पदाधिकारियों के योगदान की तिथि से प्रथम 02 वर्ष अर्थात् परिवीक्षा अवधि का Offline PAR स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। Offline PAR स्वीकार करने का यह अवसर अन्तिम अवसर होगा और इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

6. अतः अनुरोध है कि आपके नियंत्रणाधीन पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के मात्र 60–62 बैच के पदाधिकारियों के सेवा में योगदान के उपरान्त प्रथम 02 वर्ष का Offline PAR अभिलिखित कर सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकतम दिनांक–23.10.2024 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त Offline PAR पर विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन
Rajender 9.9.2024
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/एम–77/2012 सा0प्र0–14362/ पटना–15 दिनांक– 09.9.24

प्रतिलिपि– बिहार प्रशासनिक सेवा के 60–62 बैच के सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर आलोच्य अवधि का Offline PAR अभिलिखित करावें और निर्धारित अवधि के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग में चारित्री कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9/9/24
(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3/एम–77/2012 सा0प्र0–14362/ पटना–15 दिनांक– 09.9.24

प्रतिलिपि– प्रभारी चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/24
(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव